तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22 फर. 2024	पत्रावली आज रिव्यु प्रार्थनापत्र बाबत आदेशार्थ पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित, जिनकी रिव्यु प्रार्थनापत्र बाबत बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है।	

अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 207/2022(जीसीएमएस2022-559) कानसिंह बनाम गोरखाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 20 नवम्बर 2023 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत आलौच्य रिव्यु प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता-प्रार्थीगण श्री रूघाराम चौधरी ने मूल वाद एवं अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 46 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 49 रकबा 26 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा संख्या 60 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 40 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम मतोडा में प्रार्थीगण का वक्त सेटलमेण्ट से 1/7-1/7 हिस्सा दर्ज था मगर राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की सद्भाविक भूल के कारण प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होने की वजह से दावा प्रस्तुत करना पडा, पक्षकारान के मध्य हिस्से को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है, वक्त सेटलमेण्ट से जमाबंदी में हिस्से दर्ज है, मगर अदालत हाजा द्वारा जमाबंदी को नहीं मानने का कोई कारण आलौच्य निर्णय में अंकित नहीं किया है। अप्रार्थी-पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा पेश किया गया एवं जिसमें न्यायालय द्वारा चौखाराम पुत्र तुलसाराम के हक हिस्से की भूमि का खातेदार अप्रार्थी को माना है एवं विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय करते हुए चौखाराम के हक हिस्से की भूमि अप्रार्थी के बंट में रखी। मगर आलौच्य निर्णय मे अदालत हाजा द्वारा यह अंकित नहीं किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा किस दस्तावेज का विवेचन नहीं किया। इसी प्रकार विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर तैयार कर उपस्थित खातेदारान के हस्ताक्षर करवाये गये, जिसका अवलोकन किये बिना ही अदालत हाजा द्वारा आलौच्य निर्णय पारित कर दिया गया मगर यह अंकित नहीं किया गया कि तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के प्रावधानों की किस प्रकार पालना सुनिश्चित नहीं की गयी। इस प्रकार अदालत हाजा द्वारा पारित आलौच्य निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटिग्रस्त होने से अपास्त किया जावे और अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं एवं तर्को का विधि अनुसार निस्तारण किया जावे।

अधिवक्ता-अप्रार्थी श्री रोशनलाल द्वारा रिव्यु प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि रिव्यु का स्कोप अत्याधिक सीमित होता है और आलौच्य

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
22.2.24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय में रही प्रथम दृष्टया त्रुटियों का ही रिव्यु के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। वर्तमान मामले में अधिवक्ता-प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई त्रुटि आलौच्य निर्णय में इंगित नहीं की गयी है जिसका रिव्यु प्रार्थनापत्र के जरिये सुधार किया जाना सम्भव हो। अतः प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आलौच्य निर्णय में अधिवक्ता-प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस एवं रिव्यु प्रार्थनापत्र के जरिये उल्लेखित तथाकथित त्रुटियों की प्रकृति मामले के गुणावगुण के संबंधित होने से इनका निस्तारण तर्क-वितर्क के आधार पर ही किया जा सकता है अर्थात ये तथाकथित त्रुटियां प्रथम दृष्टया अभिलेख के मुखपृष्ठ पर दृष्टिगोचर (prime facie error apparent of the face of the records) होने वाली त्रुटियों की श्रेणी में नहीं आती है और इस कारण रिव्यु प्रार्थनापत्र के जरिये इनका परिमार्जन नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि रिव्यु की कार्यवाही के जरिये न्यायालय अपने ही निर्णय बाबत अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। रिव्यु के तहत न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अभिलेख के सरसरी तौर पर अध्ययन मात्र से अनायास प्रकट होने वाली त्रुटियों के सुधार हेतु ही किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायायल द्वारा Perry Kansagra vs. Smriti Madan Kansagra, (2019) 20 SCC 753 और Shanti Conductors (P) Ltd. Vs. Assam SEB, (2020) 2 SCC 677 के मामलों में धारित मत उल्लेखनीय है।

अतः प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किया जाता है और अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 207/2022(जीसीएमएस2022-559) कानसिंह बनाम गोरखाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 20 नवम्बर 2023 यथावत रखा जाता है।

आदेश सुनाया गया।

22.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर